



116

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर म०प्र०

प्र०क्र० २०-----/2011/नगरानी R-1718-I/2011

पहलवान सिंह पुत्र नत्थु निवासी ग्राम  
उचिया तहसील स्योडा जिला दतिया

..... प्राथी

बनाम

आनंद कुमार पुत्र खान सिंह निवासी

ग्राम उचिया तहसील स्योडा जिला

दतिया म०प्र० ..... प्रतिप्राथी

नगरानी आवेदन अन्तर्गता 50 म०प्र० रा. संहिता 1959

के तहत

श्री. क. डी. शर्मा भाग

द्वारा आज दि. 25-10-11 को

प्रस्तुत

क. डी. शर्मा  
कलक ऑफिस कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

क. डी. शर्मा

25-10-11

निवेदन है कि प्राथी की ओर से नगरानी आवेदन श्रीमान अपर आयुक्त  
महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/09-10/अपील में  
पारित आदेश दिनांक 18-7-2011 के विरुद्ध निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यह कि आदेश अधिस्थ न्यायालय विधि विधान एवं कानूनी प्रक्रिया  
के विपरीत है क्योंकि प्रकरण की वास्तविकता यह है कि ग्राम उचिया  
तहसील स्योडा में कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 23 रकवा 2.33 है. एवं  
सर्वे क्रमांक 38 रकवा 0.50 है. सर्वे क्रमांक 40 रकवा 1.93 है. व  
का प्राथी भूमि स्वामी होकर आधिपत्य धारी है प्राथी को अपने  
घरू खर्चास्ते कर्ज लेने हेतु आवश्यकता हुई म. ड. प्राथी द्वारा सन 1997  
में उक्त भूमि प्रतिप्राथी के यहा रहन रखकर कर्ज लिया तथा बाद में  
सम्पूर्ण कर्जा अरा कर दिया प्रतिप्राथी द्वारा स्टाम्प पेपर पर रुपये व  
की लिखापट्टी की जिसकी नोटरी करायी । बाद में उसी लिखापट्टी

..... 2

P. J. K.


XXXIX(a)-BR(H)-11

~~पहलेवानसिंह~~ / आनंद कुमार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R-1718-1/11... जिला... डतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-9-16	<p>आदेश संख्या: श्री पहलेवानसिंह</p> <p><del>उपलब्ध   उनके द्वारा उक्त</del></p> <p><del>को आगे नहीं चलाने का</del></p> <p><del>आदेश - वर उल्टा किया  </del></p> <p><del>जिसे आधार पर वर्तमान</del></p> <p><del>उक्त शर्त पर कार्य</del></p> <p><del>किया जा रहा है  </del></p> <p style="text-align: right;">[Signature] सर्वस्य</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p> <p>उपरोक्त आगे न हो</p> <p>यथा</p> <p>या</p> 

R  
11